संख्या– /X–3–10–8(14)/2009

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक:– 14 दिसम्बर, 2010

विषय:– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पश्चिमी वृत्त, नैनीताल के अन्तर्गत गौला नदी तल से उपखनिज चुगान हेतु जारी स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–क–639/9–2(3) दिनांक 14 सितम्बर, 2010 तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–530/12–1 दिनांक 13 सितम्बर, 2010 (जो आपको भी पृष्ठांकित है) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.8-61/1999-FC दिनांक 09 फरवरी, 2010 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त संख्या–16 में गौला नदी तल से उप–खनिजों के चुगान से प्राप्त आय (Earnings) को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन कार्पस फण्ड में डालने का उल्लेख है। तत्क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त "गौला नदी कार्पस निधि" का गठन निम्नांकित शर्तों के अधीन किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(i) गौला नदी उप–खनिज के चुगान से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्राप्त लाभांश के घटक को "गौला नदी कार्पस निधि" के रूप में गठित कर पूर्व में स्थापित व्यवस्था के अधीन वन जमा (Forest Deposit) में डाला जायेगा।

(ii) गौला नदी कार्पस निधि में जमा धनराशि का उपयोग प्रख्यापित गाईडलाईन्स/नियमावली के अनुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित समिति के अनुमोदनोपरान्त वार्षिक कार्य योजना के अनुसार एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मांग के अनुरूप डी०सी०एल० (DCL) वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा जारी किया जायेगा–

- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष
- प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड – सदस्य
- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन – सदस्य
- मुख्य वन संरक्षक, कुमाँऊ – सदस्य

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

- मुख्य वन संरक्षक, ऑडिट, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण — सदस्य
- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम के प्रतिनिधि — सदस्य
- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड — सदस्य
- वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड — सदस्य
- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड — सदस्य
- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी — सदस्य–सचिव

3– इसके अतिरिक्त उक्त गठित निधि के व्यय के सम्बन्ध में नियमावली/गाईडलाईन्स का प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव।

संख्या–878/X–3–10, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम,
8. मुख्य वन संरक्षक, ऑडिट, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
10. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड ।
11. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner